17.11.2022

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उप.। विप्रार्थी सं. 1 के वकील उपस्थित।

आवेदन पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया।

प्रार्थी वकील की बहस है कि वादग्रस्त आराजी तहसील व पटवार मंडल सिणधरी के मौजा किशनपुरा में खसरा संख्या 260/16 (16/63) रकबा 01–00 बीघा का आया हुआ है, जो मूल खसरा संख्या 261/16 (16/63) से दिनांक 10–11–2017 को जरियें पंजीयन बैचान से खरीद किया गया था और मौके पर प्रार्थी का कब्ज़ा काश्त करवा दिया गया था, जिससे प्रार्थी के द्वारा मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर तारबंदी आदि करवाकर अपने हिस्से की भूमि पर बेचान पत्र के अनुसार कब्जा आदि सुरक्षित किया गया जो आज दिन तक मौके पर चलता आ रहा है । कि प्रार्थी के द्वारा उक्त बेचान का ग्राम किशनपुरा में नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 05–01–2021 को स्वीकृत किया गया और साथ में विभाजन मय अलग खसरा व तरमीम किया गया है। उक्त समस्त आराजी पूर्व में विप्रार्थी संख्या 02 की थी जिसका नामान्तकरण के साथ विभाजन करवाकर अलग किया गया है जिससे प्रार्थी का नया खसरा संख्या 260/16 जारी किया गया। और मौके पर प्रार्थी का अपने हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा [illegible] लटा ट्रेस में तरमीम नामान्तकरण के समय खाता अलग करते [illegible] मौके के अनुसार सही नही की गयी थी और बेचान पत्र के अनुसार आज दिन मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त और काबिज के विपरीत दिशा में तरमीम को दर्शाया गया है। नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 05–01–2021 को स्वीकृत किया गया और साथ में विभाजन मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:22:34 IST
Reason: SelfAttested

अलग खसरा व तरमीम किया गया है जो मौके के स्थिति व बेचान पत्र के विपरीत नक्शे में तरमीम कर दी। इस प्रकार से भारी अनियमितता व मौके से बदलाव व बेचान पत्र से अलग लठा ट्रैस में तरमीम किया गया है । विप्रार्थी खातेदार के द्वारा वक्त बेचान पत्र में जो नक्शा बनाया गया है उसमें विप्रार्थी के द्वारा अपने खेत के किनारे पर चल रहे मेगा हाईवे की सड़क पर प्रार्थी को बैचान कर कब्जा दिया गया था और मौके पर भी पक्षकारान का कब्जा भी उसी अनुसार है। उक्त खसरे के राजस्व रेकर्ड को आनलाईन करते वक्त उक्त खसरो की तरमीम को मौके व बेचान पत्र के अनुसार नही कर उक्त खेत के अन्तिम किनारे पर चल रही अन्य सड़क को मेगा हाइवे मानकर उस जगह पर तरमीम को कर दिया गया है जो गलत है जिसे मौके व कब्जा काश्त के अनुसार मेगा हाइवे की सड़क पर किया जाना आवश्यक है। मौके पर चल रहा मेगा हाईवे जो दुसरे राजस्व ग्राम में होने के कारण नक्शे में दिखाई नही दे रहा है और खेत के अन्तिम किनारे पर चल रही अन्य सड़क दिखाई दे रही है जिसे हाइवे मानकर तरमीम कर दी गई है साथ ही ग्राम किशनपुरा के खसरा संख्या 261/16 के खातेदार प्रागाराम के द्वारा दिनांक 10–01–2022 को अपने हिस्से की शेष भूमि 04–00 बीघा में से 03–00 बीघा भूमि का बेचान सवाराम पुत्र कलाराम मेगवाल निवासी–सिणधरी चौसिरा को दिया गया है और जिसका कर नामान्तकरण भरा जाना है। जो प्रार्थी के हिस्से में आने वाली भूमि पर तरमीम को करने की कोशिश में है और प्रार्थी के तरमीम दुरस्त होने से पहले उक्त बेचान पत्र का नामान्मकरण व तरमीम कर दी जाती है तो प्रार्थी को भारी परेशानी व अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पुर्ति नकदी में संभव नही है और प्रार्थी के आवेदन लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। जिसको आवेदन के निर्णय तक राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखना आवश्यक है ताकि मौके पर अन्य विवाद नही हो और शान्ति बनी रहें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:22:34 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी की बहस के [illegible] वकील विप्रार्थी [illegible] ने अपनी बहस के समर्थन में अभिकथन किया कि विवादित भूमी मौजा किशनपुरा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 260/16 रकबा 0.1618 हैक्ट के संबंध में एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.का. अधि. के तहत न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी पक्ष द्वारा विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय स्थगन जारी करवा रखा है, ऐसी

स्थिति में एक ही खेत पर अलग–अलग प्रकरण के जरिये स्थगन जारी किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से उक्त आवेदन को खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया जिसके अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि मौजा किशनपुरा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 260/16 रकबा 0.1618 हैक्ट में प्रार्थी का बेचान पत्र, कब्जा काश्त के अनुरूप अपनी खातेदारी जोत के कब्जे काश्त की भूमि में दखलदाजी नहीं करने हेतु विप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में अस्थाई स्थगन पारीत किया हुआ है, ऐसी स्थिति में एक ही खसरे की भूमि पर अलग–अलग स्थग्न जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है एवं अलग–अलग प्रकरणों के जरिये स्थगन होने से उनके निस्तारण मे कानूनी पैचिदगियां भी बढ़ सकती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते जारी करने स्थगन मौजा किशनपुरा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 260/16 रकबा 0.1618 हैक्ट के संबंध में पूर्ववत निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दशा में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

17/12/2022

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:22:34 IST
Reason: SelfAttested